द्वितीय पुरस्कार

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी

जय प्रकाश कर्दम

यूं तो हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने की मांग एक लम्बे अरसे से विभिन्न मंचों से उठायी जाती रही है, सरकार के स्तर पर इस दिशा में सक्रियता पिछले एक दसक से बढी है। भारत सरकार द्वारा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने के लिए सघन प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयास को व्यवस्थित रूप से आगे बढाने के लिए विदेश राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है तथा कई सौ करोड़ रुपये की राशि हिंदी के अभियान के लिए स्वीकृत की है। जिन देशों में हिंदी बोली और लिखी-पढी जाती है, उन देशों का एक संगठन बनाने पर भी भारत सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। अधिकांश भारतीय मिशनों को हिंदी सॉफ्टवेयर, शब्दकोश और अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी है तथा मिशनों के माध्यम से विश्व के अनेक देशों में हिंदी पुस्तकों, पत्रिकाओं और शिक्षण सामग्री का वितरण किया जाता है। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के भारत के अभियान और वैश्विक स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभार का यह परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हिंदी में एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑल इंडिया रेडियो पर भी प्रसारित होता है। इसके अलावा, हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ के एक घटक यूनेस्को की आमसभा की अधिकारिक भाषाओं में से एक है। यहां पर इटेलियन और पुर्तगीज हिंदी को टक्कर दे रही हैं। किंतु विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, परमाणु शक्ति संपन्न तथा अमेरिका, चीन, जापान के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था वाला देश होने के कारण और विश्व के प्रत्येक भूभाग में भारतीयों की सशक्त उपस्थिति के कारण हिंदी की स्थिति अन्य भाषाओं की अपेक्षा बेहतर है। किंतु इतना पर्याप्त नहीं है। अंतिम लक्ष्य हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने का है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अधिकारिक भाषाएं उसके स्थायी सदस्यों की भाषाएं हैं और कहीं न कहीं ये उन राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति और प्रभाव की द्योतक हैं। यदि भारत भी संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन जाता है तो हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने की मांग को बहुत बल मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी अधिकारिक भाषाएं कहीं न कहीं संबंधित राष्ट्रों की शक्ति को भी प्रदर्शित करती हैं। आज विश्व पटल पर भारत की पहचान एक बड़ी, तेजी से विकसित और मजबूत अर्थ-व्यवस्था के साथ एक वैश्विक शक्ति की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और हिंदी को राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने का

तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा भारत को औपचारिक रूप से एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकारना होगा।

जहां तक भारत का संबंध है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता भी चाहता है और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा भी बनवाना चाहता है। लेकिन इन दोनों में भारत की प्राथमिकता निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता प्राप्त करना है। भारत इसके लिए विश्व स्तर पर कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। अपने इस प्रयास में भारत विदेशों में रह रहे या अनिवासी भारतीयों से भी सहयोग लेने का पक्षधर है। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बनने पर दो बातें सीधे-सीधे हिंदी के पक्ष में जाएंगी। पहली यह कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात में वजन आ जाएगा, और भारत द्वारा हिंदी के पक्ष में बोले जाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा गौर से सुना जाएगा। दूसरे, सयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने की दौड़ में भारत के साथ जापान, जर्मनी और ब्राजील सहित कई अन्य देश भी शामिल हैं। इनमें से जो देश भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने में सफल होगा वह अपने देश की भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने के लिए भी निश्चित रूप से प्रयास करेगा और तब उसकी आवाज में भी दम होगा। कई देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के विरोधी हैं। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशो का आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारत को स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन मिल जाने के बाद हिंदी को अधिकारिक भाषा बनवाने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने में अधिक दिक्कत नहीं होगी।

हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने की मांग जोर शोर से उठायी जा रही है। हिंदी की तुलना में इन भाषाओं को बोलने और इनका प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत कम है। जहां दूसरी भाषाएं कुछ देशों तक सीमित हैं, हिंदी विश्व के सभी महाद्वीपों के अधिकांश देशों में व्यापक स्तर पर बोली, पढी और लिखी जाती है। हिंदी के पक्ष में दूसरी बात यह जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की छः अधिकारिक भाषाओं में चार यूरोपीय भाषाएं (अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन) हैं। विशाल एशिया महाद्वीप से चीनी एकमात्र अधिकारिक भाषा है। छठी भाषा अरेबिक हैं। विशाल एशिया महाद्वीप से केवल एक भाषा का संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा होना असंतुलित और अपर्याप्त है। सातवीं भाषा एशियाई अथवा अफ्रीकी हो, इस बात की मांग भी उठ रही है। यह दावा मजबूत बनता है। इससे हिंदी को भी बल मिलता है। क्योंकि एशियाई भाषा के नाम पर बहुत से एशियाई देशों का समर्थन जुटाने में आसानी

हो सकती है। सभी देशों के दूसरे देशों के साथ अलग-अलग तरह के राजनयिक संबंध और समीकरण हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सातवीं अधिकारिक भाषा बनने की दौड़ में शामिल सभी भाषाओं की संभावनाओं को न्यूनाधिक रूप से प्रभावित करते हैं।

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने के रास्ते में वित्तीय, प्रक्रियात्मक और कानूनी कई प्रकार की बाधाएं हैं। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने की अभी तक केवल आवाज उठायी गयी है, इस संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव राष्ट्र संघ में प्रस्तुत नहीं किया गया है। सबसे पहले भारत सरकार को इस संबंध में एक औपचारिक प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत करना होगा। अगली प्रक्रिया के रूप में कामकाज की अधिकारिक भाषाओं संबंधी नियम में संशोधन करने के लिए आमसभा द्वारा इस प्रस्ताव पर चर्चा कर 192 सदस्य देशों के बहुमत से हिंदी को अधिकारिक भाषा बनाने का एक संकल्प पारित करना होगा। इसके पश्चात प्रस्तावक देश के रूप में भारत को भाषांतरण, अनुवाद, मुद्रण और समस्त दस्तावेजों की प्रतियां बनाने आदि पर होने वाले अतिरिक्त खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने होंगे, जिस पर मोटे तौर पर प्रति वर्ष लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यय होने का अनुमान है। इसके अलावा किसी भी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्च में भी काफी वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति सभी सदस्य देशों द्वारा दिए जाने वाले अंशदान में अनुपातिक वृद्धि करके की जानी होगी। बहुत से देश वित्तीय बोझ डालने वाले इस तरह के प्रस्तावों का समर्थन करने के प्रति प्रायः उदासीन रहते हैं। यही वह पेच है जिसके चलते हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने का विरोध बहुत से देश शायद नहीं करें, किंतु इस कारण से उनके अंशदान पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ के मद्देनजर इस प्रस्ताव के प्रति उनके उदासीन रहने की संभावना है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंचों से यह बात दोहराई गयी है कि वह हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनने में अनिवार्य आर्थिक बजट उपलब्ध कराएगी। इससे यह आश्वस्ति मिलती है कि भारत सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के प्रति पूरी तैयारी और तत्परता से जुटी है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के मामले में मॉरिशस भारत का साझीदार है। दोनों देशों के संयुक्त तत्वावधान में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना इसी भागीदारी का परिणाम है। मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना से हिंदी प्रेमी और हिंदी समर्थक देश के रूप में विश्व स्तर पर मॉरिशस की एक पहचान बनी है। मॉरिशस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी प्रबल समर्थक है।

इसलिए हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने के लिए मॉरिशस को अपने मित्र और प्रभाव वाले देशों का समर्थन जुटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसी तरह का प्रयास फिजी, सूरीनाम आदि देशों द्वारा भी किया जाना चाहिए। भारत और मॉरिशस को इसे एक साझे अभियान के रूप में लेते हुए आगे बढना होगा। मित्र और अनुकूल देशों की सरकारों का समर्थन जुटाने के साथ-साथ विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों को भी इस मामले में संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने प्रवास के देशों में अपने संबंधों और प्रभाव का उपयोग कर हिंदी के प्रति समर्थन जुटाने में अपनी योगदान दे सकें।

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने से पहले आवश्यक होगा कि हिंदी को भारतवर्ष की भाषा बनाया जाए। हिंदी भारत सरकार की संवैधानिक राजभाषा है,जिसकी अपेक्षा है कि समस्त सरकारी कामकाज हिंदी में हो। किंतु यथार्थ इससे भिन्न है। भारत सरकार के कार्यालयों में कामकाज हिंदी में नहीं होता, अंग्रेजी में होता है। भारत के नागरिक और सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेश जाने पर और अपने देश के अन्दर भी विदेशियों के साथ अंग्रेजी में ही संवाद किया जाता है। जबकि यह हिंदी में होना चाहिए। चीन, जापान, रूस इन सब देशों के मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष विदेश जाने पर अपनी भाषा में बोलते हैं, दुभाषिए उनका अनुवाद करते हैं। जबकि भारत के मंत्री और नेता विदेश जाने पर अपनी भाषा में नहीं बोलते। यहां तक कि संसद के अन्दर भी अधिकांश सदस्य अंग्रेजी में बोलते हैं। कोई भी भाषा बाहर तब सम्मान पाती है, जब उसे अपने घर में सम्मान मिलता है, जब उसके अपने लोग उसे सम्मान दें, उसे अपनाएं। जो हिंदी के साथ नहीं हो रहा है। जब तक हिंदी में बोलने, लिखने पढने यानी पारस्परिक और सार्वजनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करने में गर्व का अनुभव नहीं किया जाएगा तब तक हिंदी सम्मान नहीं पा सकेगी। जब तक हिंदी को दिल से स्वीकार कर उसे सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक हिंदी को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा दिलाने की आवाज नैतिक बल के अभाव में दूर तक अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेगी। और जब तक आवाज अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी तब तक समर्थन नहीं जुटा सकती।

हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में सबसे आवश्यक बात यह है कि भारत और मॉरिशस के नागरिक और सरकारी अधिकारी देश में और देश से बाहर विदेशियों के साथ संपर्क में अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करें। हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर पर्यटन और अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर हिंदी लिखी हुई भी दिखायी देनी चाहिए। हिंदी के व्यापक स्तर पर दिखायी और सुनायी देने से वैश्विक स्तर पर हिंदी के पक्ष में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, और

यह हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के अभियान को निश्चित रूप से बल प्रदान करेगा। यह देखा गया है कि भारत के कुछ मंत्रियों और अन्य नेताओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों पर हिंदी में भाषण दिए जाने से विश्व का ध्यान हिंदी की ओर आकृष्ट हुआ है, और इससे हिंदी के सम्मान में वृद्धि हुई है। जुलाई 2007 में न्यूयार्क में हुए आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन के उदघाटन सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित किया जाना और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून द्वारा इस सम्मेलन का उदघाटन किया जाना हिंदी के पक्ष में एक बड़ी उपलब्धि है।

****

संपर्क: बी-634, डी.डी.ए. फ्लेट्स
ईस्ट ऑफ लोनी रोड़,
दिल्ली-110093
फोन: 011-22814887/ 09871216298
ई-मेल: jpkardam@rediffmail.com
jpkardam@hotmail.com